# कॉल सेंटर के मालिक को बिजली चोरी में 1 साल की सश्रम कैद, 25.5 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 28 फरवरी, 2017। द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने कॉल सेंटर के मालिक को बिजली चोरी करने के जुर्म में 1 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर फाइन व सिविल लायबिलिटी समेत 25 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना भी किया है। अगर वह जुर्माने का राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे और तीन महीने की सामान्य कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के अडिशनल सेशन जज श्री गुलशल कुमार ने अपने फैसले में कहाः ... उनके द्वारा किया गया बचाव आश्वासन देने वाना नहीं लगता, क्योंकि जांच/इंस्पेक्शन के वक्त आरोपी खुद वहां उपस्थित था और वह विडियोग्राफी में भी है।

सश्रम कैद की सजा सुनाते हुए ऑर्डर में कहा गया हैः मेरे विचार में यह एक आर्थिक अपराध है, जिससे समाज पीड़ित है, और बिजली के शुल्कों का भुगतान करने वाले ईमानदार उपभोक्ता, दोषी व्यक्तियों के आचरण से व्यथित हैं। इसलिए, न्याय का तकाजा होगा कि दोषी को एक साल की सश्रम कैद की सजा मिले।

अदालत ने दोषी व्यक्ति को आदेश दिया है कि वह फाइन के तौर पर 14,75,064 रूपये तथा सिविल लायबिलिटी के तौर पर 9,83,376 रूपये का भुगतान करे।

क्या है मामलाः

आरजेड–डी–3/249, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर–9, महावीर एन्क्लेव, पालम कॉलोनी में एक कॉल सेंटर चलाने वाले श्री विपिन शर्मा को 18 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते हुए पकड़ा गया था। यह कॉल सेंटर वन स्टॉप मार्केटिंग सॉल्यूशंस के नाम से चलाया जा रहा था। हालांकि, उस परिसर में एक स्विच बोर्ड था, लेकिन वहां बिजली का कोई मीटर नहीं था, जबकि वहां 18 किलोवॉट बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब कि, वहां बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी।

निर्धारित कानूनों के मुताबिक, श्री विपिन शर्मा को रेकॉर्ड किए गए सबूतों के आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 के तहत समन किया गया था। शिकायत और कागजात की कॉपी आरोपी को दी गई थी। इसके बाद, सीआरपीसी की धारा 251 के तहत आरोपी को नोटिस दिया गया, जिसे उसने ट्रायल के आधार पर चुनौती दी।

बिजली चोरी के नुकसानः

बिजली चोरी से सिर्फ डिस्कॉम्स को ही भारी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए भी परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि बिजली चोरी की वजह से बिजली की ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन कई गुना बढ़ जाते हैं। अनियमितताओं की चेकिंग पर गई डिस्कॉम्स की एन्फोर्समेंट टीमों को व्यवस्थित गिरोहों द्वारा कई बार रोकने की कोशिश की जाती है। जब भी एन्फोर्समेंट टीमें चेकिंग के लिए इलाकों में पहुंचती हैं, ये गिरोह उन्हें घेर लेते हैं और परिसरों की चेकिंग नहीं करने देते।

हालांकि, डिस्कॉम्स ने कड़ी मेहनत करके एटीएंडसी लॉस को 55 प्रतिशत से घटाकर, 15 प्रतिशत तक लाने में सफल हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है। अत्यधिक बिजली चोरी वाले इलाके हैं: सीलमपुर, नंद नगरी, यमुना विहार, करावल नगर, दरिया गंज, चांदनी चौक, नजफगढ़, जफ्फारपुर, मुंडका, नांगलोई, शाहीन बाग, आदि। कुछ अनाधिकृत कॉलोनियों में भी बहुत अधिक बिजली की चोरी हो रही है।

बीएसईएस प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं ने अपील की है कि वे बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल हों। उपभोक्ता बिजली चोरी का विडियो बनाकर और फोटो खींचकर, उस स्थान के पते के साथ बीएसईएस के केंद्रीकृत वॉट्सऐप नंबर पर भेज सकते हैं। उपभोक्ताओं की पहचान गुप्त रखी जएगी। बीआरपीएल क्षेत्र के लिए वॉट्सऐप नंबर है – 9555010022, और बीवाईपीएल क्षेत्र के लिए 8588892156

प्रमुख बिजली वितरण कंवनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।